

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

क्रमांक/रीडर II/2021/1333-1334

दिनांक 23 नवम्बर, 2021

निमित्त :-

जिला पुलिस अधीक्षक,
बारों

विषय :- प्रकरण संख्या 08/2018 किस्म इस्तगासा
अन्तर्गत राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3
बउनवान
राज0 सरकार जर्गे थानाधिकारी कोतवाली जिला बारों
बनाम
दीपक उर्फ दीपू पुत्र रामकिशन कोली निवासी धर्मादा चौराहा जिला बारों

प्रसंग :- आपका पत्रांक/एमओबी/2018/2119-21 दिनांक 29.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से गैरसायल के विरुद्ध इस न्यायालय में इस्तगासा अन्तर्गत राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत आप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण 13.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जर्गे सम्मन 26 बार तलब किया जा चुका है किन्तु थानाधिकारी कोतवाली जिला बारों द्वारा आदिनांक तक गैरसायल स्वयं को सम्मन की तामील नहीं करवाई गई। इस बाबत आपको भी इस न्यायालय के पत्रांक 1192-1193 दि. 25.10.2021 से सूचित कर दिया गया था।

अतः मूल इस्तगासा आपको इस न्यायालय से थानाधिकारी कोतवाली जिला बारों द्वारा गैरसायल स्वयं को सम्मन की तामील करवाने में असमर्थ रहने के कारण वापिस भिजवाया जा रहा है।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
बारों

क्रमांक/रीडर II/2021/1333-1334

दिनांक 23 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारों



अति0 जिला मजिस्ट्रेट
बारों